रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 1971/श्रावण 28, 1893

No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1971/SRAVANA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्यय दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August 1971

No.37/1/II/71/T.—The following order by the President dated the 18th August 1971 is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

V. V. GIRI,
President."

August 18, 1971.

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1971

संख्या 37/1/11/71/डी०—राष्ट्रपति का दिनांक 18 अगस्त, 1971 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक सभा का सत्रावसान करता हूं ।

18 अगस्त, 1971

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

श्यामलाल शकधर,
सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971